(५)

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

21-05-2013

–: आदेश :–

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–604/2012 में आवेदक **श्री विरेन्द्र चौबे**, पिता–श्री धर्मदेव चौबे, सा0–निरापद, बी0/7, साधनापुरी, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–21.05.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ठीकेदारी एवं व्यवसाय का कार्य करते हैं और उन्हें अपने कार्य के क्रम में रंगदारी एवं धमकी का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनके पिता शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं तथा सेवानिवृत होने के कारण वे अपना शस्त्र उनको हस्तांतरित करना चाहते हैं और इस आशय का एक लिखित अनुरोध भी उनके द्वारा पूर्व में किया गया है। अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु एवं संवेदनात्मक आधार पर उनके द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–467/गो0, दिनांक–23.03.2013 द्वारा आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना के पत्रांक–13/सचि0, दिनांक–18.03.2013 द्वारा आवेदक के आवेदित शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग के जाँचोपरान्त शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में संलग्न कर अवलोकनार्थ भेजा गया है। थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ठीकेदारी का कार्य करते हैं। आवेदक को जान माल का खतरा होने एवं सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति की अनुशंसा की गई है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये

गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री विरेन्द्र चौबे,** पिता–श्री धर्मदेव चौबे, सा0–निरापद, बी0/7, साधनापुरी, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री चौबे को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/5

जिला दण्डाधिकारी,

पटना।

21/5

जिला दण्डाधिकारी,

पटना।